न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1828–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–8–2006 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 231/2005–06/अपील

.....

1–श्रीमती अल्का जैन पत्नी स्व0 महावीर जैन
2–श्रीमती अनामिका जैन पुत्री स्व0महावीर जैन
3–श्रीमती मधुलिका जैन पुत्री स्व0महावीर जैन
4–कु0नरपीता जैन पुत्री स्व0महावीर जैन
समस्त निवासीगण सदर बाजार
गुना म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी गुना के द्वारा राजस्व निरीक्षक (डायवर्सन) से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि ग्राम कुसमोदा की भूमि सर्वे कमांक 291/2 रकबा 1.207 हेक्टेयर पर कृषि न कर वर्ष 1984–85 से पड़त रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 7/अ–2/1999–2000 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई और प्रकरण में उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर प्रथम दो वर्ष छोडकर वर्ष 1986–87 से 1993–94

तक पुनर्निर्धारण रुपये 1819/– प्रतिवर्ष एवं शासन द्वारा नवीन पुनरीक्षत दर से वर्ष 1994–95 एक वर्ष का 17666/– पुनर्निर्धारण एवं प्रीमियम रुपये 1519/– कायम किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–5–2004 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–1–2005 को अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर द्वारा पुनः कार्यवाही प्रारंभ करते हुये दिनांक 10–10–2005 को आदेश पारित कर प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करत हुये अपील अस्वीकार की गई । कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश 10–10–2005 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–8–2006 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था, इस कारण उन्हें अपने वरिष्ठ न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिये था, परन्तु दिये गये निर्देशों का पालन किये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदकगणों द्वारा कभी भूमि पड़त नहीं रखी गई है और इस संबंध में अपने साक्षियों द्वारा कथन कराये गये एवं शासन के गवाह पटवारी द्वारा भी अपने कथनों में स्वीकार किया गया कि वह वर्ष 1986–87 से 1993–94 तक पटवारी नहीं था तब ऐसी स्थिति में जबकि इस आशय का कोई साक्ष्य नहीं था कि भूमि पड़त रखी गई थी, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा साक्ष्य पर किंचित मात्र विवेचन किये बिना जो निष्कर्ष निकाले गये हैं वह साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि भूमि पड़त रखी गई है इसको सिद्ध करने का भार भी शास पर था, जो शासन द्वारा न कर बिना साक्ष्य के भूमि को पड़त

मानने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक डायवर्सन के एकपक्षीय प्रतिवेदन जो कि साक्ष्य में ग्राह्य ही नहीं था, को आधार बनाकर जो आदेश पारित किया गया है वह अपास्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अधनीस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती आदेश विधिसम्मत् होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर एवं स्थल निरीक्षण कर यह पाते हुये कि वर्ष 1984–85 से वर्ष 1997–98 तक प्रश्नाधीन भूमि पड़त रही है । आवेदकगण की ओर से भी तहसील न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है कि प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य हुआ है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पड़त रहने के 2 वर्ष की अवधि को छोड़कर वर्ष 1986–87 से पुनर्निधारण करते हुये प्रीमियम एवं भू–राजस्व का निर्धारण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–08–2006 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर